

प्रधानमंत्री आवास की लाटरी 12 दिसम्बर को निगम सभागार में

भिलाईनगर। शासन की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एएचपी आवास मोर मकान—मोर आस एवं मोर मकान—मोर चिन्हारी संचालित किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के मकानहीन परिवारों से मकान हेतु आवेदन जमा कराया गया है। आवासों का सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अंशदान राशि 75000 हजार निगम कोष में नियमानुसार जमा कराया जा रहा है। निगम सभागार कक्ष में दिनांक 12.12.2025 को दोपहर 12:30 बजे लाटरी आयोजित किया गया है। लाटरी में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल के आवास तथा अन्य आवेदकों को आवास आबंटित किया जाना है। हितग्राही आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर लाटरी में शामिल हो सकते हैं।

नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय का सभी नागरिकों से अपील है कि मकान प्राप्त करने निगम मुख्य कार्यालय के योजना शाखा में आवेदन कर सकते हैं। पात्रता अनुसार नियमानुसार अंशदान की राशि निगम कोष में जमा कराया जायेगा, तत्पश्चात मकान आबंटन की प्रक्रिया में शामिल कर आवास आबंटित किया जायेगा।